

आदेश

श्री कुलदीप पुत्र श्री भगवान, पंच, वार्ड नं०. 06, ग्राम पंचायत जीवनपुर, खण्ड व जिला जीन्द द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र दिनांक 30.10.2023 जो उपायुक्त, जीन्द के सिफारिश पत्र क्रमांक 6292/पंचायत-चुनाव दिनांक 29.11.2023 व पत्र क्रमांक 2847/पंचायत-चुनाव दिनांक 11.04.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
03-05-2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए०२-2025/21262-68

दिनांक : 09.05.2025.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, जीन्द को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 6292/पंचायत-चुनाव दिनांक 29.11.2023 व पत्र क्रमांक 2847/पंचायत-चुनाव दिनांक 11.04.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
5. संरपच, ग्राम पंचायत जीवनपुर, खण्ड व जिला जीन्द।
6. श्री कुलदीप पुत्र श्री भगवान निवासी गांव जीवनपुर, तहसील अलेवा, जिला जीन्द।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।

Sh. Gaurish/Sh Mohit


अधीक्षक (चुनाव) 09/05/2025

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।